Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/164 दायर दिनांक 17.06.2017

वादी		प्रतिवादी
1. धमेन्द्र चौधरी पुत्र गोपीराम, आयु—46वर्ष, जाति—जाट, निवासी—पायली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थितः—
1. श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 27.07.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वर्तमान खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 55 बीघा 15 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 87 बीघा 06 बिस्वा, कुल खसरा दो, रकबा 143 बीघा 01 बिस्वा वाकै शरहद पायली पटवार क्षेत्र सुदरासन में अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादी के नाम निम्नानुसार अंकित हैः—

गणेशाराम, गिरधारीराम, फैफाराम, बेगाराम, रामदेवाराम, जगदीश पुत्रगण गोपीराम, गुलाबी पत्नी गोपीराम 1/4, पेफाराम, रामनिवास, शिवभगवान, बोदूराम पुत्रगण गोरधन 1/4, नवलाराम पुत्र चतराराम 1/4 कौम जाट साकिन देह खातेदार राहिन नवलाराम पुत्र चतराराम 1/4 व जोधाराम पुत्र चतराराम 1/4 ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा नूँवा मूर्तहीन।

वादी उक्त भूमि में संयुक्त खातेदार है तथा अन्य पक्षकार से किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाहता है। वादी अपने वाद के जरिये राज्य सरकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहता है। अतः वाद करने से पूर्व राज्य सरकार को दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। मगर इन्द्राज दुरस्ती रिकॉर्ड व घोषणा खातेदारी के वाद में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

लैण्ड होल्डर तहसीलदार डीडवाना आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

बिनाय दावा वादी को पटवार हल्का सुदरासन से सत्य प्रतिलिपि लेने से उसमें वादी का नाम गलत अंकित होने की जानकारी होने पर नकल खतौनी प्राप्त करने पर पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

वाद वर्णित खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 55.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 87.06 बीघा, कुल रकबा 143.01 बीघा वाकै शरहद पायली पटवार क्षेत्र सुदरासन की खातेदारी में वादी के स्वयं का नाम रामदेवाराम पुत्र गोपीराम जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है, को दुरस्त किया जाकर धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र गोपीराम कौम जाट साकिन पायली अंकित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड का इन्द्राज दुरस्त किया जाकर खातेदारी घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2068–2071, प्रमाण–पत्र क्रमांक 266 दिनांक 11.06.2017 जारी द्वारा सरपंच ग्रामपंचायत बरड़वा पंचायत समिति–डीडवाना, आधार कार्ड संख्या 7262 6638 8652 की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड संख्या AESPC2651M की छायाप्रति वाद के संलग्न की है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी् की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्ता वादी, वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से वादी का सही नाम "धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र गोपीराम " होना पुष्ट होता है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/164 दायर दिनांक 17.06.2017, निर्णय दिनांक 27.07.2017 धमेन्द्र चौधरी बनाम् तहसीलदार।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 55.15 व खसरा नम्बर 110 रकबा 87.06 बीघा में वादी का नाम वर्तमान में अंकन "रामदेवाराम पुत्र गोपीराम" के स्थान पर "धमेन्द्र चौधरी पुत्र गोपीराम" दुरस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 27.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/164**

दायर दिनांक **17.06.2017**

वादी		प्रतिवादी
1. धमेन्द्र चौधरी पुत्र गोपीराम, आयु–46वर्ष, जाति–जाट, निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

दिनांक **27.07.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 55.15 व खसरा नम्बर 110 रकबा 87.06 बीघा में वादी का नाम वर्तमान में अंकन ''रामदेवाराम पुत्र गोपीराम'' के स्थान पर ''धमेन्द्र चौधरी पुत्र गोपीराम'' दुरस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। ब्रसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.07.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner